संख्या-167/2018/2433/26-3-2018-21(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 अगस्त, 2018

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद उन्नाव के विकास कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ के पत्रांक-898-900/लेखा(ई-टेण्डरिंग)/स0क0 निर्माण/ उन्नाव/2018-19 दि0-13.07.2018 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-62/2018/ 878/26-3-2018-21(विविध)/2018, दिनांक 20.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-142/2018/वीआईपी-57/26-3-2018-21(विविध)/2018, दिनांक 31.05.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद उन्नाव के विकासखण्ड-सफीपुर, पुरवा व असोहा के 07 ग्रामों की कुल 14 परियोजनाओं के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में नामित उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) के स्थान पर अब निम्नानुसार कार्यवार कार्यदायी संस्था नामित किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान प्रदान करते हैः-

क्रमांक	वि0ख0 का नाम	ग्राम/परियोजना का नाम	नामित कार्यदायी संस्था
1	पुरवा	ग्राम मझिंगवा सद्कू भाग-1	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ
2	पुरव	ग्राम मझिंगवा सद्कू भाग-2	
3	असोहा	ग्राम टेढवा बभना भाग-1	
4	असोहा	ग्राम टेढ़वा बभना भाग-1	
5	सफीपुर	ग्राम ओझहरपुर भाग-1	
1	सफीपुर	ग्राम ओझहरपुर भाग-2	उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको)
2	सफीपुर	ग्राम भदनी भाग-1	
3	सफीपुर	ग्राम भदनी भाग-2	
4	सफीपुर	ग्राम गोपालपुर भाग-1	
5	सफीपुर	ग्राम गोपालपुर भाग-2	
6	सफीपुर	ग्राम खानपुर भाग-1	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	सफीपुर	ग्राम खानपुर भाग-2	
8	सफीपुर	ग्राम हसनापुर भाग-1	
9	सफीपुर	ग्राम हसनापुर भाग-2	

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-62/2018/878/26-3-2018-21(विविध)/2018, दिनांक-20 मार्च 2018 द्वारा जनपद उन्नाव के विकास कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि में से विकासखण्ड-सफीपुर के कार्य यथा-ग्राम ओझहरपुर भाग-2, ग्राम भदनी भाग-1, ग्राम भदनी भाग-2, ग्राम गोपालपुर भाग-1, ग्राम गोपालपुर भाग-2, ग्राम खानपुर भाग-1, ग्राम खानपुर भाग-2, ग्राम हसनापुर भाग-1 व ग्राम हसनापुर भाग-2 की धनराशि में जी0एस0टी0 की धनराशि की कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ के पत्रांक-898-900/लेखा(ई-टेण्डरिंग)/ स0क0 निर्माण/उन्नाव/2018-19 दिनांक 13.7.2018 द्वारा यू0पी0 सिडको को उपलब्ध करायी गयी है। अतः यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 द्वारा उक्त कार्यो की जी0एस0टी0 की रोकी गयी धनराशि को भी तत्काल यू0पी0 सिडको को हस्तान्तरित करते हुए शासन को सूचित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-62/2018/878/26-3-2018-21(विविध)/2018, दिनांक 20 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-142/2018/वीआईपी-57/26-3-2018- 21(विविध)/2018, दिनांक 31.05.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2018 एवं दिनांक 31.5.2018 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

संख्या-167/2018/2433(1)/26-3-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग(अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उन्नाव।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को सूचित करें।
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12. समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।